University Grants Commission, New Delhi Recognized Journal No. 41311
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

सामाजिक समरसता या विषमता में आरक्षण की भूमिका का अध्ययन

कर्ण सिंह

सहायक प्रोफेसर, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज, काशीपुर उत्तराखंड-244713

हमारे देश में आरक्षण के मकड़जाल इतना जटिल है कि किसी आम आदमी के लिए के समझना किसी बड़ी कसरत के समान है। हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान पिछड़े तबकों को सामाजिक और गरीबी स्तर को उच्च करने के मकसद से किया गया था। वहीं इस कड़ी में मौजूदा सरकार ने बीते 7 जनवरी को संविधान में 124वां संशोधन करते हुए सवर्ण लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। इस तरह से आरक्षण के पुराने कोटे में बिना बदलाव किए इसको 48.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं अगर आरक्षण के इतिहास पर नजर डाले तो पाएगें , इसकी शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी| उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इस तरह देश में आजादी से पूर्व और पश्चात आरक्षण की मांग हर वर्ग द्वारा की गई है। वहीं इसका राजनैतिक रूप से भी सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा करने की भरकस कोशिश की गई है। हाल ही में देश में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जातियों द्वारा आरक्षण को लेकर आंदोलन देखने को मिले है- जिनमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार (पटेल) आंदोलन प्रमुख हैं| इस शोध में हम जानेगें कि आजादी से पूर्व और पश्चात आरक्षण के सकारात्मक, नकारात्मक पहलुओं, सैवंधानिक पक्ष और राजनैतिक दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करेंगे।

मुख्य शब्द- आरक्षण, 10% सवर्ण आरक्षण, आरक्षण आंदोलन, आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना- भारत जैसे विविधता से भरे देश में आरक्षण का अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को समझना अतिआवश्यक है। आरक्षण को अंग्रेजी भाषा में **Reservation** शब्द से जाना जाता है। जिसका मतलब होता है अपनी जगह सुरक्षित करना, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हर स्थान पर उसकी जगह सुरक्षित रहे या रखने की कवायद करता है, फिर चाहे वो किसी रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो तो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की। इसी तर्ज पर सामाजिक रूप से संविधान में गरीब तबके के लोगों को नौकरी, शिक्षा इत्यादि में आरक्षण दिया गया। जिसका मकसद इस वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करने का मकसद था। लेकिन कुछ सालों से राजनैतिक पार्टियों ने अपने-अपने राजनीत के चलते आरक्षण जिन्न को प्रयोग किया है।[i]

आरक्षण का इतिहास परिप्रेक्ष्य-• भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी| उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की थी।

• 1891 के आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गयी।

• 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरूआत की गई| यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है।

• 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में, प्रशासन में जिनका थोड़ा-बहुत हिस्सा था, के लिए आरक्षण शुरू किया गया।

• 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

• 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मणों के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय-एंग्लो/ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

• 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, (जो पूना समझौता कहलाता है) जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी।

• 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

• 1942 में बी. आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।

• 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया था।

भारत के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गयी हैं। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे।[ii]

• 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। इस

आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति (**OBC)** के लिए की गयी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया।

• 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के पास अन्य पिछड़े वर्ग (**OBC)** के बारे में कोई सटीक आंकड़ा था और इस आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1,257 समुदायों का वर्गीकरण किया था।

• 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गयी, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है।

• 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की थी।

• 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरूआत की।

• 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।

• 1995 में संसद ने 77वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4) (ए) का गठन किया। बाद में आगे भी 85वें संशोधन द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया था।

• 12 अगस्त 2005 को उच्चतम न्यायालय ने पी. ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता है। लेकिन इसी साल निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां सांविधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया।

• 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ।

• 10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी (**OBC)** कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "क्रीमी लेयर" को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।[iii]

आखिर आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है।

मौजूदा समय में आरक्षण की स्थिति- मौजूदा समय की बात करें तो केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 49.5% आरक्षण दे रखा है और वहीं राज्य

आरक्षणों में वृद्धि के लिए क़ानून बना सकते हैं। सुप्रीप कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने क्रमशः 68% और 87% तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। अब यहां बात करना भी जरूरी हो गया है कि आरक्षण कितने प्रकार के होते है। सबसे पहले हम जातीय आरक्षण की बात करते है जिसके तहत भारत सरकार ने वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5% अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%)। ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5% तक बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (**AIIMS)** में 14% सीटें अनुसूचित जातियों और 8% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केवल 50% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं अगर हम प्रबंधन कोटा की बात करे तो पाएगें कि जाति-समर्थक आरक्षण के पैरोकारों के अनुसार प्रबंधन कोटा सबसे विवादास्पद कोटा है। दरअसल प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा भी इसकी गंभीर आलोचना की गयी है क्योंकि जाति, नस्ल और धर्म पर ध्यान दिए बिना आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कोटा है, जिसमें पैसे देकर कोई भी सीट खरीद सकता है। इसमें निजी महाविद्यालय प्रबंधन की अपनी कसौटी के आधार पर तय किये गये विद्यार्थियों के लिए 15% सीट आरक्षित कर सकते हैं। इस कसौटी में महाविद्यालयों की अपनी प्रवेश परीक्षा या कानूनी तौर पर 10+2 के न्यूनतम प्रतिशत शामिल होते हैं।

वहीं आरक्षण के लिंग आधार पर नजर डालेगें तो पता चलता है कि महिलाओं को ग्राम पंचायत (मतलब गांव की विधानसभा) और नगर निगम चुनावों

में 33% आरक्षण प्राप्त है। बिहार जैसे गरीब समझे जाने वाला पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। संसद एवं विधानमंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों के बहुमत से "महिला आरक्षण विधेयक" को राज्य सभा में पारित किया गया था, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अटका पड़ा है। साथ ही धार्मिक आरक्षण देश के कुछ राज्यों में ही लागू है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए 3.5-3.5% सीटें आवंटित की हैं, जिससे ओबीसी आरक्षण 30% से 23% कर दिया गया, क्योंकि मुसलमानों या ईसाइयों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग को इससे हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने अनेक मुसलमान समुदायों को पिछड़े मुसलमानों में सूचीबद्ध कर रखा है, इससे वे आरक्षण के हकदार होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, राज्य सरकार के अधीन सभी नौकरियां उस राज्य में रहने वाले सभी निवासियों के लिए आरक्षित होती हैं। पीईसी (**PEC**) चंडीगढ़ में, पहले 80% सीट चंडीगढ़ के निवासियों के लिए आरक्षित थीं और अब यह 50% है। वहीं जेआईपीएमईआर (**JIPMER**) जैसे संस्थानों में स्नातकोत्तर सीट के लिए आरक्षण की नीति उनके लिए है, जिन्होंने जेआईपीएमईआर (**JIPMER**) से एमबीबीएस (**MBBS**) पूरा किया है| (एम्स) में इसके 120 स्नातकोत्तर सीटों में से 33% सीट 40 पूर्वस्नातक छात्रों के लिए आरक्षित हुआ करती हैं (इसका अर्थ है जिन्होंने एम्स से एमबीबीएस पूरा किया उन प्रत्येक छात्रों को स्नातकोत्तर में सीट मिलना तय है।)[iv]

आरक्षण के कुछ अन्य मानदंड-

- स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे/बेटियों/पोते/पोतियों के लिए आरक्षण
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण
- खेल हस्तियों के लिए आरक्षण
- शैक्षिक संस्थानों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई (**NRI**)) के लिए छोटे पैमाने पर सीटें आरक्षित

होती हैं। उन्हें अधिक शुल्क और विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (नोट: 2003 में एनआरआई आरक्षण आईआईटी से हटा लिया गया था)|

• सेवानिवृत सैनिकों के लिए आरक्षण

• शहीदों के परिवारों के लिए आरक्षण

• अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षण

• सरकारी उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (**PSU)** के विशेष स्कूलों (जैसे सेना स्कूलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (**PSU)** के स्कूलों आदि) में उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण|

• वरिष्ठ नागरिकों/पीएच (**PH)** के लिए सार्वज**S**निक बस परिवहन में सीट आरक्षण|

आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:-

• संविधान के भाग तीन में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

• अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।

• अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

आरक्षण की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां- हाल ही में संसद के पटल पर संविधान का 124वां संशोधन विधेयक केन्द्रीय मंन्त्री डॉ तावरचंद गहलोत द्वारा पेश किया गया था। जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 में

संशोधन किया गया जो अनुच्छेद 15 और 16 आरक्षण की बात करते है। इन्ही अनुच्छेद में जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संशोधित करके आर्थिक आरक्षण के लिए अलग से प्रावधान किए गए है। दरअसल अनुच्छेद 15 (4) एवम् 16 (4) में आरक्षण के मूलभूत संरचना का उल्लेख है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 15(4) में यदि राज्य को लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान लाने की जरूरत है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 16 (4) कहता है की राज्यों को लगता है की किसी वर्ग का या जाति का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में कम है तो उस जाति,वर्ग और धर्म के लिए सरकारी सेवाओ में सीटे आरक्षित कर सकता है।[v]

संविधान के इसी मूलभूत अनुच्छेद में सरकार ने संशोधन करते हुए उप-धारा 15 (6) और 16 (6) लाई है, जिसके बाद सभी अनारक्षित वर्ग किसी भी धर्म के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। यह 10 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से अलग है। जिसमें किसी भी तरह की कोई छेड़ -छाड़ नहीं की गयी है। इस नए प्रावधान के बाद भारत में कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5 % हो गया है। हमें लगता है कि किसी भी देश विशेष के लिए आरक्षण एक स्थायी तरीका है जब संविधान निर्माताओ ने आरक्षण की बात कहीं होगी या इसका प्रावधान किया था। जिसका विशेष उद्देश्य समाज के सभी शोषित,कुपोषित और निरक्षर लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके साथ ही यह भी प्रावधान डाला गया कि हर दस वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन हम सब के लिए यह सोचनीय है कि क्या किसी स्तर की ठोस समीक्षा हुई और क्या उसका कोई सकारात्मक परिणाम आया ? [vi]

हमारे संविधान निर्माताओं के दूरदर्शी सोच का नतीजा था कि उन्होने आरक्षण की समीक्षा के लिए दस वर्षो का प्रावधान किया। इस उम्मीद में कि

भविष्य के नीति निर्माता आरक्षण का सही रूप से अवलोकन करेंगे साथ ही समाज की जरूरत के हिसाब से इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन बीते कुछ समय के साथ आरक्षण सामाजिक हित से ज्यादा राजनैतिक हित साधने वाला हथियार बन गया है। जो सोच आरक्षण के पीछे समाज के वंचित लोगों को मजबूती दिलाने की थी अब वहीं आरक्षण बीतते समय के साथ समाज को कमजोर और गुणवत्ता रहित कर रहा है। आरक्षण के हथियार को समय - समय पर राजनैतिक हितों को साधने लिए प्रत्येक दल द्वारा अपने तरीके से प्रयोग करते रहे। इसके तमाम उदाहरण हमारे राजनैतिक गलियारों में उपलब्ध है- जैसे की 1990 मे वी. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना, सप्रंग सरकार द्वारा 2014 आम चुनाव से ठीक पहले जाठ आरक्षण नीति को लागू करना, 77वे संविधान संशोधन 2001 करके पदोन्नत्ति में आरक्षण का लाभ देना और अब राजग सरकार द्वारा आर्थिक आरक्षण संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। सवर्ण आरक्षण राजनितिक लाभ लेने के लिए आम चुनाव 2019 से पहले लाया गया है । इस आर्थिक आरक्षण की निम्नलिखित शर्तों के तहत लाभ लिया जा सकेगा –

1) आठ लाख रूपए से कम सालाना पारिवारिक आय।

2) जिस परिवार के पास कृषि भूमि पांच एकड़ से कम हो।

3) आवासीय घर 1000 वर्ग फीट तक या उससे कम हो।

4) अधिसूचित न्यायपालिका में 100 गज तक या उससे कम का प्लाट हो।

5) गैर अधिसूचित न्यायपालिका में 209 गज का प्लाट या उससे कम हो।

अगर हम इसकी पात्रता की बात करें तो भारत गणराज्य में 95 फीसदी आबादी इसकी जद में आ जाएगी। वहीं आठ लाख की आय पात्रता की बात करें तो इसको कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे बिहार से आए एक रिक्शा वाला और प्रोफेसर दिल्ली में अपना जीवन यापन के लिए

आते है। वहीं दोनों ही अनारक्षित वर्ग के है और दोनों ही आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक है तो इस आरक्षण की पात्रता दोनों को इस लाभ में बराबर लाकर खड़ा कर देगी। अब आप अपने विवेक से सोचिये की यह कितना न्यायसंगत होगा और इसका लाभ दोनों में से कौन ज्यादा ले जाएगा।

अगर आरक्षण एक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का जरिया होता तो लगभग 6 दशक से लागू अनुसूचित जनजाति /जनजाति को आरक्षण से आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक आजादी मिल चूंकि होती ? सरकार ने एक आरटीआई(2017) के जवाब में बताया कि केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी अलग अलग सरकारी वर्गों में कुछ इस तरह है- अ -14 %वर्ग, ब -15 % वर्ग, स - 17 % वर्ग, द - 18% यह जवाब 37 मंत्रालयों में से 24 मत्रालय द्वारा दिए गए जवाब से निकल कर आया है। अगर हम इस आरटीआई को आधार बनाकर बात करें तो मंडल कमीशन के 2 दशकों के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में अपने आरक्षित सीटो (27%) के बराबर भी नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि सरकारों का चलन रहा है आरक्षण को एक लॉलीपोप की तरह उपयोग किया गया है, क्योंकि आरक्षण की सिफारिश लागू होने के बाद भी इनका क्रियान्यवन ठीक से नहीं हो पाया है। [vii]

पिछड़ा वर्ग जनसंख्या की बात करें तो मण्डल कमीशन ने यह आबादी 52% बताई है, अगर हम एनएफएचएस (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (1998) के सर्वे के मुताबिक अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या 33.5% है और साथ ही अगर एनएसएस (नेशनल सर्विस स्कीम) के सर्वे की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36% प्रतिशत है। अगर 2011 की सेन्सस रिपोर्ट की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 68.52% तो इस जनसंख्या जो कि अलग- अलग संस्थानों द्वारा आया है। आइए एक नजर हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इकाइयों द्वारा किये गए सर्वेक्षण जो कि भिन्न - भिन्न विषयों पर है वो हमें कहां ठहराते हैं। अगर हम रोजगार दर की

बात करें तो भारत का स्थान 42/47(ओईसीडी सर्वे) पर है। बेरोजगारी दर की बात करें तो भारत का स्थान 103/217(सीआईए वर्ल्ड फेक्ट बुक) बेघर लोगों की बात करें या उनकी आबादी की बात करें तो भारत का स्थान 8/52,ग्लोबल यूथ डेवलमेंट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 134/183, सोशल प्रोगेस इंडेक्स 93/128, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 133/155 (यूनाइडेट नेशन), एजुकेशन इंडेक्स 145/191(यूएन), लिटरेसी रेट 167/234(यूआईएफएस), नम्बर ऑफ बिलिनेयरस 3/171 (फोर्ब्स)। आरक्षण इतना कठोर पुख्ता इलाज होता तो भारत कम से कम 50 उच्च स्थानों में होता। [viii]मैं मानता हूं कि अतर्राष्ट्रीय इकाई हमारे देश की भूगौलिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थति कितना समझते होंगे। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए की जिस देश और समाज को पिछड़ने की जल्दी हो वो समाज और देश आगे कैसे बढ़ पायेगा ?

निष्कर्ष- आज तक हम अन्य पिछड़ा वर्ग की सही जनसंख्या के बारे में पता नहीं लगा पाए। जिसकी वजह से हम पूर्व में लागू आरक्षण नीतियों का भी सही क्रियान्यवन नहीं कर पाए तो किसी भी सरकार को आरक्षण नीतियों को लागू करने से पहले उस समाज की सही जनसंख्या, सामाजिक जरूरत, आर्थिक जरूरत और शैक्षणिक जरूरत की समीक्षा करें। जिससे समाज के सही वर्ग तक नीतियों को पहुंचाई जा सके तथा सभी जाति ,समुदाय और धर्म की समीक्षा कर सके, साथ ही उनके विकास के आधार पर आरक्षण सीमा तय कर सके, ना की आरक्षण को चुनावी वादे या हथियार की तरह उपयोग करें। क्योंकि आरक्षण कभी कोई स्थाई इलाज नहीं है बल्कि समाज के शोषित और वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का तरीका है। अगर सरकार को सही मायने में आरक्षण का लाभ लोगों तक पहुंचना है तो इसकी समीक्षा प्रत्येक तीन वर्षो में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर आरक्षित वर्गों के विकास की जरूरतों की समीक्षा करनी

होगी, तभी आखिरी पंक्ति में बैठे आदमी तक इसका लाभ पहुंच पाए और उसका विकास हो पायेगा।

चूंकि हमने देखा, सुना और पढ़ा है कि आरक्षित वर्ग के सम्पन्न परिवार आरक्षण का बेवजह लाभ ले रहे है। जिन्हे सही मायनों में इसकी जरूरत है। वह परिवार संसाधनों की कमी के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे है। कितनी दुखद बात है जो आरक्षण भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, उसी में भेदभाव हो रहा है जोकि आरक्षण की मूलभूत आत्मा की निर्मम हत्या है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ जरूरमंद लोगों को मिले और आरक्षित वर्ग में सम्पन हो चुके, परिवारों को किसी भी तरह के आरक्षण लाभ से वंचित करें। आरक्षण के इत्तर हमें सामाजिक विकास के अन्य तरीकों पर बात करनी चाहिए- जैसे शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक मदद, युवा और किसानों को भिन्न -भिन्न प्रकार के कौशल सीखा।[ix] दरअसल उन्हें आत्म-निर्भर बनाना, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में बताया जाए और उनका सही क्रियान्यवन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरूआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी। लेकिन समय के साथ आरक्षण वोट बैंक की राजनीत का शिकार बनता चला गया। वर्तमान समय में हर राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया है।

[i] भारत में आरक्षण
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3

[ii] जानिए क्या है समान नागरिक संहिताhttp://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/uniform-civil-code-constitution-of-india-116101300063_1.html

[iii] आरक्षण का इतिहास– https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/history-of-reservation-in-india-an-overall-analysis-1482832180-2

[iv] मौजूदा समय में आरक्षण की स्थिति https://www.jagranjosh.com/ general-knowledge/history-of-reservation-in-india-an-overall-analysis-1488832189-2

[v] आरक्षण की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां sablog.in/reservation-the-way-to-social-harmony-or-power-march-2019/

[vi]10 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग https://aajtak.intoday.in/education/story/general-knowledge-political-science-know-about-the-major-amendments-to-the-constitution-1-789885.html

[vii] https://www.bbc.com/hindi/india/2009/09/090915_moilycaste_aa

[viii] https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/in-india-unemployment-to-stay-at-3-5-percent-but-over-two-third-jobs-vulnerable-says-ilo/articleshow/65230857.cms

[ix] https://www.bhaskar.com/news/NAT-NAN-know-the-facts-about-reservation-policy-in-india-5093986-PHO.html क्या है देश में आरक्षण की स्थिति